



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार, 03 अगस्त, 2026 ई०

श्रावण 12, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

संख्या- 433/XVII-B-1/2026-07(27)2014 ई-56220

देहरादून, 03 अगस्त, 2026

अधिसूचना

राज्यपाल, वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या-43, सन् 1995) (समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा 83 की उपधारा (4) के खण्ड (क), सपठित साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-10 वर्ष 1897) की धारा-21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुमायूं मण्डल के जिलों की अधिकारिता हेतु हल्द्वानी (नैनीताल) में गठित त्रिस्तरीय वक्फ ट्रिब्यूनल में 'अध्यक्ष' पद पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्ति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-- इस संबंध में पूर्व में निर्गत आदेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायगा।

आज्ञा से,

डॉ० पराग मधुकर धकाते,
विशेष सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of 'the Constitution of India,' the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 433/XVII-B-1/2026-07(27)/2014, Dehradun dated August 03, 2026 for general information:

File No. 433/XVII-B-1/2021-07(27)/2014

Dated Dehradun, August 03, 2026

NOTIFICATION

In exercise to the power conferred by the clause (a) of sub Section (4) of Section 83 of Waqf Act, 1995 (as amended from time to time), read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No.10 of 1897) (as applicable in State of Uttarakhand), the Governor is pleased to appoint 1st Additional District & Session Judge, Haldwani (Nainital) as **Chairman** of the three tier Waqf Tribunal constituted at Haldwani (Nainital) for the jurisdiction of districts of Kumaon Division in addition to his duties.

2- Earlier order in this regard shall be deemed amended to that extent.

By Order,

DR. PARAG MADHUKAR DHAKATE,
Special Secretary.